"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2013—चैत्र 15, शक 1935

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिफा जावेद पति श्री सलीम जावेद, उम्र-22 वर्ष, निवासी- क्वा. नं.-9-ए, सड़क नं.-एवेन्यू बी, सेक्टर-1, भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छ. ग. में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. शिखा शर्मा पिता श्री दयानंद शर्मा, निवासी-क्वा. नं. 3-ए, सड़क एवेन्यू-बी. भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग के नाम से जानी, पहचानी जाती थी, मेरा विवाह दिनांक 14-12-2011 को सलीम जावेद पिता स्व. अब्दुल हमीद के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम "श्रीमती शिफा जावेद पति श्री सलीम जावेद" रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती शिफा जावेद पति श्री सलीम जावेद के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| कु. शिखा शर्मा | श्रीमती शिफा जावेद |
| पिता- श्री दयानंद शर्मा | पति- श्री सलीम जावेद |
| निवासी-क्वा. नं. 3-ए | निवासी-क्वा. नं. 9-ए |
| सड़क एवेन्यू-बी, भिलाई | सड़क नं. एवेन्यू-बी, सेक्टर-1, भिलाई |
| तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नराला नारायण आ. स्व. अप्पय्या, उम्र -45 वर्ष, हाल निवास- लक्ष्मी निलयम, म. नं. 36, वार्ड नं. 07, नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई निवासी-ग्राम-कोराडा पेटा, पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम (आन्ध्रप्रदेश) पिन कोड-532404 का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम नारायण आ. स्व. अप्पय्या अंकित है. मैं अपने नाम के आगे "नराला" जोड़कर अपना नया नाम "नराला नारायण" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे नराला नारायण आ. स्व. अप्पय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| नारायण<br>आत्मज- स्व. अप्पय्या<br>हाल निवास-लक्ष्मी निलयम<br>म. नं.-36, वार्ड क्र.-07<br>नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर<br>भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)<br>स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा<br>पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम<br>(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404 | नराला नारायण<br>(NARALA NARAYAN)<br>आत्मज- स्व. अप्पय्या<br>हाल निवास-लक्ष्मी निलयम<br>म. नं.-36, वार्ड क्र.-07<br>नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर<br>भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)<br>स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा<br>पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम<br>(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404 |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नराला दानम्मा पति श्री नराला नारायण, उम्र -34 वर्ष, हाल निवास- लक्ष्मी निलयम, म. नं. 36, वार्ड नं. 07, नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई निवासी-ग्राम-कोराडा पेटा, पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम (आन्ध्रप्रदेश) पिन कोड-532404, की हूं. यह कि मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती दानम्मा पति नारायण अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम श्रीमती नराला दानम्मा पति श्री नराला नारायण रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती नराला दानम्मा पति श्री नराला नारायण के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| श्रीमती दानम्मा<br>पति- नारायण<br>हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,<br>म. नं.-36, वार्ड क्र.-7<br>नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर<br>भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)<br>स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा<br>पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम<br>(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404 | श्रीमती नराला दानम्मा<br>(NARALA DANAMMA)<br>पति-नराला नारायण<br>हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,<br>म. नं.-36, वार्ड क्र.-7<br>नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर<br>भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)<br>स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा<br>पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम<br>(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404 |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नराला नारायण आ. स्व. अप्पय्या, उम्र -45 वर्ष, हाल निवास- लक्ष्मी निलयम, म. नं. 36, वार्ड नं. 07, नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई निवासी-ग्राम-कोराडा पेटा, पोस्ट-श्री कूर्याम, जिला-श्री काकुलम (आन्ध्रप्रदेश) पिन कोड-532404, का हूं. यह कि मैं अपनी पुत्री "लावण्या" के नाम के आगे "नराला" जोड़कर अपनी पुत्री का नया नाम "नराला लावण्या" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत करं दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को नराला लावण्या पिता नराला नारायण के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

**पुराना नाम**

लावण्या
आत्मजा- नराला नारायण
हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,
म. नं.-36, वार्ड क्र.-07
नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर
भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा
पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम
(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404

**नया नाम**

नराला लावण्या
(NARALA LAWANYA)
आत्मजा- नराला नारायण
हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,
म. नं.-36, वार्ड क्र.-07
नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर
भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा
पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम
(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नराला नारायण आ. स्व. अप्पय्या, उम्र -45 वर्ष, हाल निवास- लक्ष्मी निलयम, म. नं. 36, वार्ड नं. 07, नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई निवासी-ग्राम-कोराडा पेटा, पोस्ट-श्री कूर्याम, जिला-श्री काकुलम (आन्ध्रप्रदेश) पिन कोड-532404, का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र "आकाश" के नाम के आगे "नराला" जोड़कर अपने पुत्र का नया नाम "नराला आकाश" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को नराला आकाश पिता नराला नारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

**पुराना नाम**

आकाश
पिता- नराला नारायण
हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,
म. नं.-36, वार्ड क्र.-07
नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर
भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा
पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम
(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404

**नया नाम**

नराला आकाश
(NARALA AKASH)
पिता- नराला नारायण
हाल निवास-लक्ष्मी निलयम,
म. नं.-36, वार्ड क्र.-07
नारायण नूतन चौक, शिक्षक नगर
भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई निवास-ग्राम-कोराडा पेटा
पोस्ट-श्री कूर्माम, जिला-श्री काकुलम
(आन्ध्रप्रदेश) पिन-532404

# नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आभा अग्रवाल पति श्री पीयूष अग्रवाल, आयु -27 वर्ष, निवासी- प्लाट नं. ए/31, विद्युत नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. नेहा उपाध्याय पिता श्री एस. के. उपाध्याय, निवासी-एच. बी. टी. आई. नवाबगंज, कानपुर (उ. प्र.) के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित है, मेरा विवाह दिनांक 17-01-2013 को श्री पीयूष अग्रवाल पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी -प्लाट नं. ए/31, विद्युत नगर, दुर्ग के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम श्रीमती आभा अग्रवाल पति श्री पीयूष अग्रवाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती आभा अग्रवाल पति श्री पीयूष अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| कु. नेहा उपाध्याय<br>पिता- श्री एस. के. उपाध्याय<br>निवासी-एच. बी. टी. आई.<br>नवाबगंज, कानपुर (उत्तर प्रदेश) | श्रीमती आभा अग्रवाल<br>पति-श्री पीयूष अग्रवाल<br>निवासी-प्लाट नं. ए/31<br>विद्युत नगर, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

# उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती श्वेता सोनकुसरे देवांगन (Shweta Sonkusre Dewangan) ध. प. श्री आशीष देवांगन, आयु -28 वर्ष, स्थायी निवास- एस. एच.-113, सेक्टर-1, पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) हाल मुकाम- गोल्डन गैस एजेंसी के सामने, विद्युत नगर दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. श्वेता सोनकुसरे आत्मजा श्री श्यामराव सोनकुसरे, निवासी-गोल्डन गैस एजेंसी के सामने, विद्युत नगर, दुर्ग (छ. ग.) के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाती थी तथा मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों में यही नाम दर्ज है, मेरा विवाह दिनांक 03-12-2010 को श्री आशीष देवांगन पिता श्री कुंजलाल देवांगन निवासी -एस. एच.-113, सेक्टर 1, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम श्रीमती श्वेता सोनकुसरे देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती श्वेता सोनकुसरे देवांगन, ध. प. श्री आशीष देवांगन के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| कु. श्वेता सोनकुसरे<br>पिता- श्री श्यामराव सोनकुसरे<br>निवासी-गोल्डन गैस एजेंसी के सामने<br>विद्युत नगर, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)<br>491001 | श्रीमती श्वेता सोनकुसरे देवांगन<br>(Shweta Sonkusre Dewangan)<br>पति- श्री आशीष देवांगन<br>निवासी-एस. एच.-113, सेक्टर-1,<br>पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर<br>तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)<br>492010 |

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्रारूप

[ देखे नियम 5(1) ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा ]

**लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग, जिला दुर्ग के समक्ष**

क्रमांक /284/प्र. 2/अविअ/2013.— यत: कि श्री विजय एच. शाह ट्रस्टी द्वारा श्री भांजी मोनजी शाह चेरिटेबल ट्रस्ट शास्त्री नगर, कान्ट्रेक्टर कालोनी, जी. ई. रोड, भिलाई-490023 तहसील व जिला दुर्ग ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 23-02-2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | : | श्री भांजी मोनजी शाह चेरिटेबल ट्रस्ट, शास्त्रीनगर, कान्ट्रेक्टर कालोनी, जी. ई. रोड, भिलाई - 490023, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | : | 2,36,88,679-00 नगद, बैंक बेलेंस एवं एफडीआर (31-3-2012 की स्थिति में) |
| 3. | अचल संपत्ति | : | भिलाई तथा मुम्बई स्थित अनुमानित मूल्य लगभग 05 करोड़ रुपये. |

मुहर

दुर्ग, दिनांक 23-01-2013

**संजय कुमार दीवान,**
पंजीयक.

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

**[ छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57 (2) अन्तर्गत ]**

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2013/78.— जिला बस्तर के निम्नलिखित सहकारी समितियों को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 (क्र. 17 सं. 1961) की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत संबंधित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 71 तथा छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 के नियम 57 (ग) के अनुसार यह सूचना सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि निम्नलिखित समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारियां तथा ऋण लेना बकाया निकलते हों, वे प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर मेरे कार्यालय में या संबंधित परिसमापक के पास कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त दावों पर कोई भी उत्तरदायी मान्य नहीं होगी और संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्वों को उक्त कथित नियम के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया है ऐसा समझा जावेगा एवं जिन समितियों के रिकार्डस् उपलब्ध नहीं है उनमें कुछ भी लेन देन नहीं है ऐसा समझा जायेगा.

**नाम सहकारी समितियां जिसे परिसमापन में लाया गया है.**

| क्र. (1) | समितियों का नाम (2) | पंजीयन क्रमांक/ दिनांक (3) | विकासखंड (4) | परिसमापक का नाम (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्राथ. महिला बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., विजय वार्ड- जगदलपुर. | 516/19-01-2007 | जगदलपुर | श्री एम. एल. नंदनवार |
| 2. | कोसा कताई बुनाई सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर. | 77/24-07-1987 | जगदलपुर | श्री रविभूषण राव |
| 3. | रावधारिणी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बकावंड. | 37/22-11-1983 | बकावंड | श्री सी. एस. नेताम |
| 4. | माँ हिंगलाजिन बुनकर सहकारी समिति मर्या., पाहुरबेल. | 39/22-11-1983 | बकावंड | श्री सी. एस. नेताम |
| 5. | बूढ़ादेव बुनकर एवं हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्या., राजूर. | 466/04-06-2002 | तोकापाल | श्री एस. एल. कुजूर |
| 6. | आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., पटेलपारा बकावंड. | 447/04-06-2001 | बकावंड | श्री सी. एस. नेताम |

आगे यह भी प्रकाशित किया जाता है कि जिस व्यक्ति समिति के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारी या कर्मचारी के पास उक्त सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात सामान एवं रोकड़ हो तो वे प्रकाशन की तिथि से 02 माह के भीतर इस कार्यालय में जमा करें या लिखित में सूचना देवें अन्यथा निश्चित समय उपरांत यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त समिति का कोई भी रिकार्डस् या सामान आदि की जानकारी मिली या वैसा सिद्ध हुआ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये स्वंय की व्यक्तिगत रूप से जवाबदारी होगी.

यह सूचना आज दिनांक 02-02-13 को मेरे द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की गई.

जगदलपुर, दिनांक 04 फरवरी 2013

**छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69 (1) के अन्तर्गत**

क्रमांक/उ. पं. ज./परिसमापन/2013/86.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/परि./12/1074/दिनांक 03-12-2012 द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण टीप के अनुसार तथा अकार्यशील होने के कारण निर्वाचन संभव न होने की स्थिति में समितियां अकार्यशील एवं निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालक प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं, एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ.-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित दुग्ध सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 5 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 04-02-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

| क्र. | समितियों का नाम | विकासखण्ड | पंजीयक क्रमांक/ दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सरगीपाल. | जगदलपुर | 467/01-07-2002 | श्री रविभूषण राव |
| 2. | नवोदय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित धरमपुरा. | जगदलपुर | 160/19-02-1990 | श्री रविभूषण राव |
| 3. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित अघनपुर. | जगदलपुर | 455/05-12-2001 | श्री रविभूषण राव |
| 4. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पुलगांव. | जगदलपुर | 444/31-03-2001 | श्री रविभूषण राव |
| 5. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित धनपूंजी. | जगदलपुर | 448/18-07-2001 | श्री रविभूषण राव |
| 6. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पोटानार. | जगदलपुर | 154/14-03-1989 | श्री रविभूषण राव |
| 7. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कुरंदी. | जगदलपुर | 84/30-03-1988 | श्री रविभूषण राव |
| 8. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गिरोला. | बकावंड | 236/07-06-1990 | श्री सी. एस. नेताम |
| 9. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित डोडरेपाल. | बकावंड | 449/05-12-2001 | श्री सी. एस. नेताम |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 10. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित भिरंलिंगा. | बकावंड | 451/05-12-2001 | श्री सी. एस. नेताम |
| 11. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बोरपदर. | बकावंड | 453/05-12-2001 | श्री सी. एस. नेताम |
| 12. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित परोगुड़ा. | बकावंड | 454/05-12-2001 | श्री सी. एस. नेताम |
| 13. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बस्तर. | बस्तर | 60/07-02-1986 | श्री एम. एल. नंदनवार |
| 14. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गुनपुर. | बस्तर | 473/14-01-2003 | श्री एम. एल. नंदनवार |
| 15. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित तोकापाल. | तोकापाल | 450/05-12-2001 | श्री एस. एल. कुजूर |

**एल. एल. बृंझ,**
उप पंजीयक.

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/48.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./557/दुर्ग, दिनांक 11-04-2002 के द्वारा जय भीम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, न्यू बालाजी नगर सेक्टर-11 जोन 2 खुर्सीपार भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2647 का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर, का स्थानांतरण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुंद हो जाने के कारण वह महासमुंद में पदस्थ हो गये हैं उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देखमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को जय भीम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मार्यादिंत न्यू बालाजी नगर सेक्टर-11 जोन-2 खुर्सीपार भिलाई पंजीयन 2647 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/49.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परि./263/दुर्ग, दिनांक 21-03-12 के द्वारा चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, हथखोज जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2341 के परिसमापक श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी डौण्डीलौहारा में पदस्थ होने के फलस्वरूप एम के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी के स्थान पर श्री पी. के. पाण्डे, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति हथखोज जिला दुर्ग पंजीयन क्रमांक 2341 का परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 15-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/50.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5591/दुर्ग, दिनांक 11-04-2002 के द्वारा जय माँ दुर्गा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शंकर नगर स्टेशन मड़ोदा भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2679 का परिसमापक श्री टी. आर. साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री टी. आर. साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दुर्ग का स्थानांतरण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा हो जाने के कारण वह बेमेतरा में पदस्थ हो गये हैं उनके स्थान पर श्री आर. आर. गजभिये, वरिष्ठ, सहकारी निरीक्षक दुर्ग को माँ दुर्गा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. शंकर नगर स्टेशन मड़ोदा भिलाई पंजीयन 2679 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परिसमापन/2013/60.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/445/दुर्ग, दिनांक 30-4-09 के द्वारा मीता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, अहेरी, पंजीयन क्रमांक 115 का परिसमापक श्री सोमदत्त तिवारी, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री सोमदत्त तिवारी, सहकारी संस्थाएं रायपुर हो जाने के कारण वह रायपुर में पदस्थ हो गये है उनके स्थान पर श्री जे. पी. गौतम, सहकारी निरीक्षक , दुर्ग को मीता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. अहेरी पंजीयन 115 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/61.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3431/दुर्ग, दिनांक 31-03-09 के द्वारा ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 91 का परिसमापक श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग, का पदोन्नति उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर हो जाने के कारण वह कांकेर में पदस्थ हो गये हैं उनके स्थान पर श्री जे. पी. गौतम, सहकारी निरीक्षक , दुर्ग को ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पंजीयन क्रमांक 91 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परि./2013/86.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/442/दुर्ग, दिनांक 30-4-09 के द्वारा नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, कोहका, पंजीयन क्रमांक 67 संस्था का परिसमापक श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग, पदोन्नति हो जाने के कारण वह उप पंजीयक सहकारी समितियां कांकेर में पदस्थ हो गये उनके स्थान पर श्री बी. एल. राणा वरिष्ठ, सहकारी निरीक्षक , दुर्ग को नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कोहका पंजीयन क्रमांक 67 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2013/87.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरदु/परि./1053, दिनांक 25-08-11 के द्वारा रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बोरसी, पंजीयन क्रमांक 79 के परिसमापक श्री जी. आर. हिशीकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री जी. आर. हिशीकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग, का स्थान्तरण उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा हो जाने के कारण वह जांजगीर-चांपा में पदस्थ हो गये है उनके स्थान पर श्री बी. एल. राणा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक , दुर्ग को रजनीगंधा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बोरसी पंजीयन क्रमांक 79 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**कमल नारायण कान्डे,**
उप पंजीयक.

---

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.